न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 513/2018

प्रार्थीः—
1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

बनाम अप्रार्थीः—
1. श्रीमती सुगनादेवी पत्नि श्री हीरालाल कौम कुम्हार (प्रजापत) निवासी केरला तहसील पाली

उपस्थितिः—

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री पंकज दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 11.06.19

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद केरला में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 166 कुल रकबा 20.09 बिघा किस्म बारानी सोयम भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्णित भूमि खसरा नंबर 166 रकबा 20.09 अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया हुआ नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा वर्णित भूमि का बगैर किसी वैध अनुमति अथवा आज्ञा प्राप्त किये ख0नं0 166 कुल रकबा 20.09 बीघा कृषि भूमि पर ईंट भट्टा लगाकर कृषि भूमि का अकृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिससे कृषि भूमि का भौतिक स्वरूप एवं उर्वरता शक्ति को नष्ट कर उत्पादकता को खत्म किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। उपरोक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर अप्रार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है लेकिन दिनांक 21—12—2018 को कार्यालय विहित प्राधिकारी (उप जिला कलेक्टर) पाली द्वारा अपने संपरिवर्तन आदेश कमांक/राजस्व/2018/789 के जरिये उक्त कृषि भूमि का औद्योगिक (ईंट भट्टा) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दिया है, जिसकी फोटो प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत है। दिनांक 21—12—2018 को कार्यालय विहित प्राधिकारी (उप जिला कलेक्टर) पाली द्वारा अपने संपरिवर्तन आदेश कमांक/राजस्व/2018/789 के जरिये उक्त कृषि भूमि का औद्योगिक (ईंट भट्टा) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दिया है। उक्त भूमि के संपरिवर्तित हो जाने से उक्त प्रकरण में अब कोई वाद कारण शेष नहीं रह गया है। वाद कारण के अभाव में अब उक्त प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में कोई वाद कारण शेष नहीं रहने से वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का उसके द्वारा संपरिवर्तन करवा लिया है इसलिए अब कोई वाद कारण अवशेष नहीं रह जाने से प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

6. सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का कृषि अकृषि औद्योगिक (ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन करवा लिया है इसलिए अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करवानी है।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के आवेदन पर विहित प्राधिकारी (उप जिला कलेक्टर, पाली) द्वारा अपने संपरिवर्तन आदेश कमांक/राजस्व/2018/789 के जरिये उक्त कृषि भूमि का औद्योगिक (ईंट भट्टा) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दिया है। उक्त भूमि के संपरिवर्तित हो जाने से उक्त प्रकरण में अब कोई वाद कारण शेष नहीं रह गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 11.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner